राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1211/2017 .... जिला ....जयपुर..

उनवान : मैसर्स लोट्स प्राइम एस्टेट प्रा0 लि0, लोट्स प्लाजा, ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी के पास, जगतपुरा, जयपुर

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** **श्री के. एल. जैन, सदस्य**	
14/11/2017	अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन संख्या एस–89/AA-1/Stay/17-18 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 26.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया वसूली योग्य मांग राशि रूपये 15,92,340/– की वसूली कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक श्री टी. सी. जैन तथा राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में बकाया शेष राशि **रूपये 15,92,340/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 14/11/17 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** 14/11/17 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	